



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh




IN-UP02514051663660V

e-Stamp

Pen No. **DDMPG04053**
SHIVAM CHATURVEDI VENDOR
 LIC. NO. **UP/14443904**
 ACC ID **UP14443904**
NACHARI. ETAM.

Certificate No. : IN-UP02514051663660V
 Certificate Issued Date : 01-Sep-2023 12:08 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14443904/ ETAM SADAR/ UP-ETH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1444390400638829077684V
 Purchased by : BOARD OF TECHNICAL EDUCATION UTTAR PRADESH LUCKNOW
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : LATE SHRI PUTTU SINGH SHIKSHA SAMITI NAGLA KHERA
 Second Party : BOARD OF TECHNICAL EDUCATION UTTAR PRADESH LUCKNOW
 Stamp Duty Paid By : LATE SHRI PUTTU SINGH SHIKSHA SAMITI NAGLA KHERA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

(प्रारूप-“अ”)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम वीरेश्वर सिंह (नाम अध्यक्ष) एवं अश्वनी कुमार (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव (स्व० श्री पुत्तू सिंह शिक्षा समिति एवं पता नगला खेड़ा उडेसर फिरोजाबाद (उ०प्र०) (सोसाइटी का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्न बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा (स्व० श्री पुत्तू सिंह शिक्षा समिति एवं पता नगला खेड़ा उडेसर फिरोजाबाद उ०प्र०) (संस्था का नाम एवं पता) नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम ग्राम श्यामपुर एटा जनपद-फिरोजाबाद (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 1453 एवं 1458, 1459 रकबा क्रमश 0.920+0.834 हेक्टेयर) भूमि है। कुल रकबा 1.75 हेक्टेयर भूमि है।

The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.shivamchaturvedi.com or using the Stamp Mobile App of Shivam Chaturvedi.
 2. The user of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है. और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1453 रकबा 0.810 हेक्टेयर कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 27.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है. और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

स्व. श्री. पुत्रु सिंह शिक्षा समिति,

प्रबन्धक/साथ

ह० अध्यक्ष

स्व. श्री. पुत्रु सिंह शिक्षा समिति

अध्यक्ष